निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 03/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं0 2025/18

इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

....**प्रार्थी**

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार नि0 वार्ड नं. 15 माताजी बाईपास, चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर।
2. श्री सुरेश कुमार सेन पुत्र श्री भैरूलाल सेन नि0 वार्ड नं. 15 माताजी बाईपास, चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर।
3. श्री मनोज सेन पुत्र श्री सुरेश कुमार सेन नि0 वार्ड नं. 15 माताजी बाईपास, चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर। दूसरा पता–पट्टा नं. 83 ग्राम चौथ का बरवाडा, ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला स0मा0

.........**अप्रार्थी/ऋणी**

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.12.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार नि0 वार्ड नं. 15 माताजी बाईपास, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा सं. 83 ग्राम चोथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में गली बाद भवंर सिंह सोलंकी का मकान, पश्चिम में उम्मेद सिंह एवं मोहन सेन का मकान एवं आम रास्ता, उत्तर में धूलीलाल एवं हरिमोहन सेन का मकान व गली व दक्षिण में उम्मेद सिंह एवं हनुमान शर्मा का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 125.11 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 7,00,000 (सात लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी, किन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा मकान के लिए आवश्यकतानुसार 6,00,786 (छः लाख सात सौ छियासी रूपये मात्र) का ही ऋण प्राप्त किया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 10.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा सं. 83 ग्राम चोथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में गली बाद भवंर सिंह सोलंकी का मकान, पश्चिम में उम्मेद सिंह एवं मोहन सेन का मकान एवं आम रास्ता, उत्तर में धूलीलाल एवं हरिमोहन सेन का मकान व गली व दक्षिण में उम्मेद सिंह एवं हनुमान शर्मा का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 125.11 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 31.1.2025 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:04:24 IST
Reason: SelfAttested